संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र. /अ.प्रशा./सेल–4/2014/1639 भोपाल, दिनांक 04/09/ 2014

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,म.प्र.

विषयः– अस्पताल परिसर में निजी/रेडक्रास एवं अन्य दवाई की दुकानों की स्थापना एवं संचालन नहीं किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश क्र. 68/86/ 2013/ सत्रह/मेडि–3 दिनांक 17.01.2013

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासन द्वारा अस्पतालों में निःशुल्क दवाई एवं निःशुल्क उपचार योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत सभी अस्पतालों में विभिन्न प्रकार की औषधियां/दवाईयां समस्त रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। विगत वर्ष इसी संदर्भ में शासन के संदर्भित आदेश द्वारा अस्पताल परिसर में कोई भी निजी/रेडक्रास की दवाई की दुकान का संचालन प्रतिबंधित किया जा कर, संचालनालय द्वारा कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किये गये थे। तत्समय कुछ जिला चिकित्सालय एवं अन्य स्तर के अस्पातल में संचालित दुकानों के संचालक द्वारा मा. न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने की जानकारी आपके द्वारा संचालनालय को दी गई थी जिसके कारण परिसर में दुकाने यथावत संचालित थी। अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान में देखने में आया कि कुछ जिला अस्पताल एवं जिले में संचालित अन्य शासकीय अस्पताल के परिसर में अभी भी निजी/रेडक्रास एवं अन्य मेडिकल स्टोर्स बिना न्यायालय स्थगन प्राप्त किये संचालित किये जा रहे है जो कि शासन के संदर्भित आदेशों का उल्लघंन है। अपेक्षा है जिन प्रकरणों में मा. न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था उनमें आपके द्वारा कार्यवाही की जाकर स्थगन खारिज (वैकेट) कराया जाकर दुकानों को हटवा दिया गया होगा। यदि आपके द्वारा मा. न्यायालय का स्थगन आदेश खारिज नहीं कराया गया हो तो शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर परिसर में दवाई की दुकानें त्वरित बंद करने की कार्यवाही करें। आदेश का उल्लघंन एवं पालन न करने पर आपकी व्यक्तिगत जवाबदारी निर्धारित कर आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

आपके द्वारा की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन तत्काल अधोहस्ताक्षकर्ता को भेजने की व्यवस्था करे।

(डॉ. के.के. ठस्सू)
संचालक (अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

पृ. क्र. /अ.प्रशा./सेल–4/2014/1640 भोपाल, दिनांक 04/09/ 2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम., बैंक ऑफ इंडिया भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें लीगल, स्थानीय कार्यालय।
6. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

संचालक (अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

(10)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/ अ.प्र./2014/1692, भोपाल, दिनांक 16/09/2014

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्य प्रदेश

विषयः— जिला चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा संस्था परिसर में निर्मित भवनों का चिकित्सालयीन सेवाओं के उपयोग किये जाने के संबंध में।

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा संस्थाओं में बढ़ती हुई रोगियों की संख्या एवं स्थान के अभाव को देखते हुये चिकित्सालयों के परिसर में शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं—

1. समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में वर्तमान में निर्मित सभी भवनों का उपयोग केवल चिकित्सालय/विभाग की सेवाओं/गतिविधियों के लिये ही किया जाये।
2. चिकित्सालयों के परिसर में बने समस्त भवनों की अधोसंरचना इस प्रकार हो कि भवन का प्रवेश चिकित्सालय परिसर में/की तरफ हो, एवं इन भवनों का उपयोग चिकित्सालय/स्वास्थ्य सेवाओ/इकाईयों/विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों हेतु उदा. जेरीयेट्रिक/एन.सी.डी वार्ड, कैन्सर उपचार हेतु चिन्हित वार्ड, सी.एम.ओ./सी.एस. कार्यालय, कार्यक्रम संचालन इकाई, एन.आर.सी. आदि हेतु किया जाना सुनिश्चित करें।
3. चिकित्सालय परिसर में स्थित भवन/शासकीय भूमि का कोई डायवर्सन न किया जाये। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से डायवर्सन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है तो इसके पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाये। शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना कोई डायवर्सन नहीं किया जाये।

इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें एवं आपकी स्थापना के समस्त शासकीय संस्थाओं में उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

(डॉ.के.के.ठस्सू)
संचालक (अ.प्र.)
स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र

पृ.क्रमांक/2014/1693 भोपाल, दिनांक 16/09/2014

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4) संचालक, एन.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5) समस्त संभागीय संचालक/संभागीय संयुक्त संचालक,म.प्र.।
6) समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, मध्य प्रदेश।

संचालक (अ.प्र.)